कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 1349 सूरजपुर, दिनांक 25/3 /2019

प्रति

कार्यपालन अभियंता

अति उच्च दाब निर्माण संभाग,

छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या, कोरबा

विषयः– **Diversion of 4.940 ha. forest land in favour of CSPTCL for construction of 132 Kv. DCDS EHT Transmission line under Forest Conservation Act 1980 from Bishrampur to Kaushalpur, in Surajpur District in the State of CG - reg.**
– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/TRANS/31081/2017

संदर्भः– 1. **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र क्रमांक** F.No. FC-I/ CH- 126/2018-NGP/4850 dated 29.01.2019 **एवं पत्र क्रमांक** 4920 **दिनांक 07.02.2019**

2. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अटलनगर रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–172/714 दिनांक 13.03.19**

––00––

विषयान्तर्गत सूरजपुर वनमण्डल अन्तर्गत 132 के.व्ही. बिश्रमापुर से कौशलपुर (रामानुजनगर) विद्युत पारेषण लाईन निर्माण में सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र सूरजपुर एवं रामानुजनगर अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.687 हे. एवं राजस्व वनभूमि 4.253 हे. कुल 4.940 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी है।

मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/224/358 दिनांक 11.03.2013 के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की गणना प्रतिवेदन सूरजपुर वनमण्डल में प्रभावित वन भूमि 4.940 हे0 हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./972 दिनांक 08.08.2018 के द्वारा तैयार कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./3290 दिनांक 23.08.2018 के द्वारा प्रकरण अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक का अनुमोदन किया गया है ।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक–iv के परिपालन में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र 4.940 हे. हेतु प्रत्याशा मूल्य की राशि रू0 3606200=00 (छत्तीस लाख छः हजार दो सौ रूपये) जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक– ii के परिपालन में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 4.940 हे. के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये दोगुना 4.940 x 2 = 9.880 हे. हेतु बिगड़े वन भूमि परिक्षेत्र सूरजपुर में कक्ष क्रमांक पी 2526 का चयन किया गया है । वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित बिगड़े वनभूमि 9.880 हे0 हेतु 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2019–20) हेतु 726270/हेक्टेयर की दर से कुल आवश्यक राशि रू. 7175548.00 (इक्हत्तर लाख पचहत्तर हजार पांच सौ अडतालीस रूपये) मात्र है।

प्रथम चरण की अधिरोपित शर्त क्रमांक– (xix) d के परिपालन में औषधीय पौधों के रोपण (वनक्षेत्र में कुल लम्बाई– 2360.00 मी. एवं चौडाई – 3.00 मी. = 0.708 हे. हेतु वर्ष 2019–20 के लिए (सिंचित) रोपण 726270/हेक्टेयर की दर से कुल आवश्यक राशि रू. 514199.00 (पांच लाख चौदह हजार एक सौ निन्यानबे रूपये) मात्र है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य, वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2019–20) एवं औषधीय पौधों की रोपण (वर्ष 2019–20) के निर्धारित दर से आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	गणना पत्रक अनुसार प्रत्याशा मूल्य की अनुमोदित राशि	**3606200.00**
2	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 4.940 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण (सिंचित) की राशि	**7175548.00**
3	औषधीय वृक्षारोपण 0.708 हे. हेतु राशि	**514199.00**
	योग :–	**11295947.00**

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्ताव से सम्बधित समस्त भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में जमा करने हेतु ई–चालान के माध्यम से भारत सरकार की वेब साईट http://forestclearence.nic.in द्वारा किया जाना है। ई–चालान की विस्तृत जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साईट की होम पेज में सपोर्ट टैब में क्लिक कर ई–चालान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 4.940 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य, वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं औषधीय पौधों की रोपण हेतु कुल राशि **11295947.00 (एक करोड़ बारह लाख पनचानबे हजार नौ सौ सैतालीस रूपये)** मात्र का भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में ई–चालान के माध्यम से जमा कर ई–चालान की कॉपी तत्काल प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1350 — सूरजपुर, दिनांक 25/2 /2019

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर